THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) to (d) The matter is under consideration.

Revenue earned by Air Commercial Stations

131. SMT. CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of INFORMATION & BROADCASTING be pleased to state:

(a) the total revenue earned by the All India Radio's commercial stations and centres in the last fiscal year. State-wise and Centre-wise; and

(b) whether the commercial centres of AIR are able to maintain profit status despite the rise of cable and satellite T.V.?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) Information is given in the enclosed statement, *(See* below).

(b) There is a sustained growth in the revenue earning of All India Radio despite the rise of Cable and Satellite Television.

Statement

Cross Revenue earned by different Commercial Broadcasting Service (CBS) Centres during 1992-93.

S.No.	State/Union Territory	CBC Centre	Gross Revenue Earnings (Rupees in Lakhs)
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	Hyderabad	519.91
2.	Bihar	Patna	204.34
3.	Delhi/Haryana	Delhi	362.52
4.	Gujarat	Ahmedabad	249.05
5.	Jammu & Kashmir	Srinagar	22.24
6.	Karnataka	Bangalore	352.29
7.	Kerala	Thiruvananthapuram	343.55
8.	Madhya Pradesh	Bhopal	234.61
9.	Maharashtra/Goa	Bombay	639.69
10.	Orissa	Cuttack	80.18
11.	Punjab/Chandigarh	Chandigarh	111.94
12.	Rajasthan	Jaipui	181.01
13.	Tamil Nadu	Madras	893.85
14.	Uttar Pradesh	Kanpur	450.50

1	2	3	4
15. West Bengal		Calcutta	308.43
Vividh Bharati Network*		Primary	806.64
Channel Phase-I**			138.06

*Sponsored programmes are broadcast on the Vividh Bharati network across several Centres with a built-in discount in the appropriate taritf.

**Earnings from advertisements broadcast before the 8 a.m. bulletin in Hindi and after the 9 p.m. bulletin in English, over the entire primary channel network of AIR.

फिल्मोंकासेंसरकियाजाना

132. **श्री वीरेन्द्र कटारिया:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म सेंसर प्रमाणन बोर्ड के क्या कार्य हैं और सरकार द्वारा इसे क्या दिशानिर्देश दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन दिशा-निर्देशों के बावजूद चलचित्रों में अश्लील और भद्दे दृश्य तथा गीत और अत्यधिक हिंसा, बलात्कार के दृश्य और दोहरे अर्थों वाले गीत दिखाये जाते हैं; और

(ग) फिल्मों में इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिये सरकार क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव): (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्य कार्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्मों को प्रमाणित करना है। बोर्ड द्वारा जिन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार फिल्मों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित किया जाता है, उनके विवरण की प्रति संलग्न है।

(ख) और (ग) आपत्तिजनक एवं अश्लील दृश्यों, अत्यधिक हिंसा तथा द्विअर्थी गीतों वाली फिल्मों के प्रदर्शन के बारे में सरकार को समय-समय पर शिकायतें/प्रेस रिपोर्ट मिलती रहती हैं। तथापि, सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु आशायित सभी फिल्मों की केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में जांच की जानी अपेक्षित है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणन हेतु फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:—

(1) हिंसा जैसे समाज-विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट अथवा न्यायोचित न ठहराई जाएं,

(2) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(3) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए;

(4) ऐसे दिधअर्थी शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हों;

(5) महिलाओं के साथ बलात्कार की कोशिश, बलात्कार या किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या जैसे इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए और यदि कोई ऐसी घटना विषयवस्तु के लिए प्रासंगिक हो तो उसे कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए।

फिल्म का कोई भाग यदि किसी एक या अधिक मार्गदर्शी सिद्धान्त का उल्लंघन करता है तो उसे प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले हटा दिया जाता है। जब किसी फिल्म को अवयस्कों के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे "ख" प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। यदि फिल्म के किसी आपत्तिजनक प्रभाव को विलोपन के माध्यम से समाप्त न किए जा सके तो उस फिल्म को प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता।